बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश, 2025

खाद्य, पटना/............/............/2025

जी0 एस0 आर0 ...., बिहार सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा–3 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम "बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश, 2025" होगा।
   (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–14(vi) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

   14(vi) राशन कार्डधारियों के अभिलेखों यथा–खाद्यान्न उठाव की विवरणी एवं अनुज्ञप्तिधारी के अभिलेखों अर्थात् स्टॉक रजिस्टर, निर्गम या विक्रय रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण विहित इलेक्ट्रॉनिक रीति में होगा, जिसे संबंधित विभागीय पोर्टल पर देखा जा सकेगा।

3. बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–14(xiii) (क)(ख) एवं (ग) को विलोपित किया जाएगा।

4. बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका–15(i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

   15(i) (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान मार्च से अगस्त तक 07:00 बजे पूर्वाह्न से 01.00 बजे अपराह्न तक तथा सितम्बर से फरवरी तक 08:00 बजे पूर्वाह्न से 02.00 बजे अपराह्न तक खुली रहेगी।
   (ख) प्रत्येक सोमवार, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर के साथ होली, छठपूजा, दुर्गापूजा (नवमी एवं दशमी) तथा ईद को राज्य में कार्यरत उचित मूल्य की दुकानें बन्द रहेगी।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव।

Government of Bihar

Food and Consumer Protection Department

Notification

Bihar Targeted Public Distribution System (Control) (Third Amendment) Order, 2025

Patna ...., 2025

GSR ...., In exercise of the powers conferred by Section-3 and 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Government of Bihar hereby makes the following order to amend the "Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016", Namely :-

1. Short title and commencement - (1) This order may be called the "Bihar Targeted Public Distribution System (Control) (Third Amendment) Order, 2025"
   (2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Para 14(vi) of Bihar Targeted Public Distribution (Control) order, 2016 shall be substituted by following :-
   "14(vi) The records of ration cards holders, such as-food grains lifting details, and the records of license holders i.e Stock Register, Issuance or Sell Register and other records -shall be maintained electronically. Which can be viewed on relevant departmental portal."

3. Para 14(xiii) (a)(b)&(c) of Bihar Targeted Public Distribution (Control) order, 2016 shall be omitted.

4. Para 15(i) of Bihar Targeted Public Distribution (Control) order, 2016 shall be substituted by the following :-
   "(a) A Fair Price Shop shall be kept open from 07.00 A.M to 01.00 P.M from March to August and from 08.00 A.M to 02:00 P.M from September to February.
   (b) Functional FPS shops in State shall be closed on every Monday, 26th January, 15th August, 2nd October along with Holi, Chhath Puja, Durga Puja (Navami and Dashami) and Eid."

By the order of the Governor of Bihar

(Pankaj Kumar)
Principal Secretary

ज्ञापांक – प्र0–04–पी0डी0एस0–01/2015 –1897 खाद्य,पटना/दिनांक– 11/08/2025
प्रतिलिपिः–ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, पटना को विषयशीर्ष के साथ अंग्रेजी अनुवाद Ms Word में सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की 100 प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांकः– प्र0–04–पी0डी0एस0–01/2015 – 1897 खाद्य,पटना/दिनांक– 7/8/25 11/08/2025
प्रतिलिपिः–सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, बिहार/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार/सभी पणन पदाधिकारी, बिहार/सभी आपूर्ति निरीक्षक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, मौर्यालोक, पटना/महामंत्री, बिहार फेयर प्राईस डीलर्स एसोसियेशन, भिखना पहाड़ी, पटना–4/महामंत्री, बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ, गायघाट, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र0–04–पी0डी0एस0–01/2015 – 1897 खाद्य,पटना/दिनांक– 7/8/25 11/08/2025
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र0–04–पी0डी0एस0–01/2015 – 1897 खाद्य,पटना/दिनांक– 7/8/25 11/08/2025
प्रतिलिपिः–आई० टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति ई० मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।
7/8/25